

अध्याय - V

मैसर्स क्वाडरेंट टेलीवेन्चर्स लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व

5.1 प्रस्तावना

क्वाडरेंट टेलीवेन्चर्स लिमिटेड (क्यू टी एल) जिसे पहले एच एफ सी एल इन्फोटेक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ने दूरसंचार विभाग से पंजाब लाइसेंस सर्विस एरिया (एल एस ए) के लिए साल 2000 में यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेस लाइसेंस (यू ए एस एल) प्राप्त किया था। क्यू टी एल ने अपनी मूल टेलीफोन सेवा को अक्टूबर 2000 में शुरू किया। इसके बाद, कंपनी ने पंजाब सर्कल के लिए नवम्बर 2003 से यूनिफाइड एक्सेस (बेसिक और सेल्यूलर) सर्विस लाइसेंस (यू ए एस एल) में माइग्रेट किया और मई 2004 में यू ए एस एल समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्यू टी एल को पंजाब टेलीकाम सर्विस एरिया के लिए अगस्त 2006 में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सी डी एम ए) स्पैक्ट्रम दिया गया था और 2007 में क्यू टी एल ने सी डी एम ए टेक्नोलाजी में ऑपरेशन शुरू किया था। उसे जी एस एम सर्विस के लिए स्पैक्ट्रम सितम्बर 2008 में दिया गया था और जी एस एम टेक्नोलाजी में ऑपरेशन मार्च 2010 से शुरू किया गया था।

इन सेवाओं के अलावा, क्यू टी एल ने इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए जून 2000 से पंजाब टेलीकॉम सर्कल के लिए आई एस पी लाइसेंस सर्विस एरिया 'बी' भी लिया था। आई एस पी लाइसेंस की समाप्ति पर, क्यू टी एल को जनवरी 2015 में आई एस पी श्रेणी 'ए' (पैन इंडिया) यूनिफाइड लाइसेंस प्रदान किया गया था।

5.1.1 क्यू टी एल द्वारा लिए गए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम

क्यू टी एल द्वारा लिए गए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम का विवरण नीचे तालिका 5.1 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 5.1

क्र. सं.	तकनीकी	स्पैक्ट्रम	एक्सेस कैरियर की संख्या*	बैकबोन कैरियर की संख्या	एल एस ए
1	जी एस एम	2 x 4.4 मेगाहर्ट्ज	3	शून्य	पंजाब
2	सी डी एम ए	2 x 1.23 मेगाहर्ट्ज	2	शून्य	पंजाब

*1 कैरियर बराबर है 56 मेगाहर्ट्ज

5.1.2 क्यू टी एल द्वारा बताया गया राजस्व और राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान

दूरसंचार सेवा प्रदाता को स्व-मूल्यांकन आधार पर लाइसेंस फीस (एल एफ) तथा स्पैक्ट्रम यूसेज चार्जस (एस यू सी) का भुगतान एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू (ए जी आर) के प्रतिशत पर त्रैमासिक आधार पर करना होता है। क्यू टी एल द्वारा वर्ष 2006-07 से 2014-15 की अवधि के दौरान सकल राजस्व (जी आर), कटौतियाँ, ए जी आर बताया गया, राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ तथा एस यू सी) नीचे तालिका 5.2 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 5.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अन्त तक अभिदाता बेस (करोड़ में)	जी आर	कटौतियाँ	ए जी आर	जी आर से ए जी आर की प्रतिशतता	राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ + एस यू सी)
2006-07	0.03	276.49	62.43	183.03	74.56	16.11
2007-08	0.04	250.44	61.92	141.71	69.59	12.33
2008-09	0.06	224.42	40.42	130.08	76.31	11.67
2009-10	0.05	198.17	35.13	100.69	74.30	8.92
2010-11	0.17	238.49	28.36	136.90	82.83	13.69
2011-12	0.15	284.51	79.98	114.68	58.91	11.50
2012-13	0.16	338.73	92.35	221.36	65.35	17.49
2013-14	0.24	414.31	148.02	266.28	64.27	24.13
2014-15	0.30	528.68	261.17	267.52	50.60	23.31
कुल		2754.24	809.60	1562.25	56.72	139.15

5.2 वितरकों/अभिदाताओं को कमीशन/छूट/ऑफर के नेटिंग-ऑफ के कारण प्रीपेड सेवाओं से राजस्व को कम बताया गया

क्यू टी एल द्वारा प्रस्तुत प्रीपेड सेवाओं से सम्बन्धित डेटा/रिकार्ड की जाँच से यह देखा गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान-

- प्रीपेड सेवाओं के राजस्व में अग्रिम छूट के रूप में वितरकों/एजेंटों को दी जाने वाली कमीशन शामिल नहीं थी;
- ग्राहकों को फ्री एयर टाइम (एफ ए टी), जी आर/ए जी आर की गणना के लिए प्रीपेड सेवाओं से राजस्व में शामिल नहीं किया गया था।

मद अनुसार विवरण नीचे दिये गये हैं-

5.2.1 वितरकों को दिया गया अपफ्रंट कमीशन/छूट के सेट-ऑफ के कारण प्रीपेड राजस्व कम बताया गया

क्यू टी एल प्रीपेड सेगमेंट में विभिन्न उत्पादों/सेवाओं को मार्केटिंग/मार्जिन/कमीशन की मार्केटिंग भागीदारों/एजेंटों/फ्रेंचाइजीज/डीलरों/वितरकों आदि के माध्यम से करती है। ऐसे मार्जिन कमीशन आदि लाइसेंसी के लिए खर्च की तरह है।

क्यू टी एल के खातों की समीक्षा पर, यह देखा गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के वित्तीय वर्ष के दौरान वितरकों/फ्रेंचाइजीज/एजेंटों/डीलरों को भुगतान किये गये ₹ 39.32 करोड़ की कमीशन/मार्जिन को प्रीपेड सेवाओं के राजस्व लेखाशीर्ष में डेबिट कर दिया गया था जिस कारण प्रीपेड राजस्व में कमी आई। इसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा जमा किये गए ए जी आर स्टैंटमेंट में कन्ट्रोलर आफ कम्प्यूनिकेशन एकाउन्ट्स (सीसीए)/दूरसंचार विभाग के लिए प्रस्तुत वास्तविक राजस्व में कमी हुई। जैसा कि वितरकों/फ्रेंचाइजीज/एजेंटों/डीलरों को दिया गया कमीशन/मार्जिन खर्चों की तरह लिया जाता है, राजस्व के साथ ऐसे खर्चों का निवल लाइसेंस शर्तों के खिलाफ था, जिसके परिणामस्वरूप जी आर की रिपोर्टिंग ₹ 39.32 करोड़ कम की गई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि: –

- प्रसंस्करण के जी एल राजस्व लेजर में डेबिट की गई राशि प्राथमिक बिलिंग के समय वितरकों को दी जाने वाली व्यापार छूट की थी। लेखा नीति के अनुसार, कंपनी के लिए वास्तविक प्रवाह अर्थात् सिर्फ वितरक द्वारा भुगतान की गई राशि ही पी एंड एल खाते में ली जाती है न कि वितरक के माध्यम से बेचे गये उत्पाद की अधिकतम खुदरा कीमत;
- वितरक को उत्पाद की बिक्री सहमत कीमत पर की गई थी और उस कीमत को पी एंड एल खाते में दिखाया गया था और खर्च के साथ किसी भी राजस्व का कोई नैटिंग-आफ नहीं था;
- ए एस-9 के अनुरूप, कंपनी जिस कीमत पर वितरक को उत्पाद बेचती है वह विचार प्राप्त किया गया था और इसलिए केवल इस राशि को राजस्व के रूप में पहचाना जाना चाहिए। नकद, प्राप्तियों या अन्य विचारों का कोई प्रवाह नहीं था;
- टी डी सैट ने अपने निर्णय दिनांक 23 अप्रैल 2015 के द्वारा यह भी बताया कि अगर बिक्री एक सहमत कीमत पर थी, उस पर सहमत मूल्य पर चालान किया गया था और इसे लाभ और हानि खाते में राजस्व के तहत बुक किया गया था, किसी भी छूट के लिए नेटिंग-ऑफ किए बिना, वास्तविक बिक्री मूल्य ही राजस्व होगा, और एम आर पी और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को "सकल राजस्व" में जोड़ा नहीं जा सकता।

- उपरोक्त के मद्देनजर, क्यू टी एल व्यापार छूट पर नैटिंग-आफ के कारण क्यूटीएल के जी आर के अधिसूचना के खिलाफ आडिट बिन्दू को स्वीकार या मानने की स्थिति में नहीं था।

नीचे दिए गए कारणों की वजह से उपयुक्त प्रतिक्रिया स्वीकार्य नहीं है:-

- क्यू टी एल अतंत सेवाओं को प्रदान कर रहा है और यदि क्यू टी एल ग्राहकों को कार्ड सीधे बेचता तो दी गई सेवा का पूरा मूल्य राजस्व के लिए जिम्मेदार होगा तथा बिक्री का खर्च व्यय के रूप में होगा। उसी समानता पर, वितरकों के लिए छूट/कमीशन विपणन व्यय के रूप में होगी और अतः राजस्व से कटौती नहीं की जानी चाहिए।
- जब तक यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में उप-न्यायिक है, तो ऑडिट का मानना है कि वितरकों/फ्रेंचाइजीज/डीलरों को दिया गया कमीशन/मार्जिन, विपणन व्ययों के रूप में है, इसलिए इस तरह के खर्चों को राजस्व के साथ सैट-ऑफ करना लाइसेंस शर्तों के खिलाफ था।

इस प्रकार, राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल करने के लिए वितरकों को दी गई ₹ 39.32 करोड़ की अपफ्रंट छूट/कमीशन पर कोई विचार नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर को कम बताया गया तथा एल एफ और एस यू सी का कम भुगतान किया गया जो कि क्रमशः ₹ 3.15 करोड़ तथा ₹ 1.40 करोड़ था (अनुलग्नक-5.01)।

5.2.2 प्रीपेड ग्राहकों को फ्री एयर टाइम देने के कारण राजस्व को कम बताया गया

क्यू टी एल अपने प्रीपेड ग्राहकों को मुफ्त एयरटाइम (एफ ए टी) प्रदान करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान ग्राहकों को दिये गए एफ ए टी, जिसका मूल्य ₹ 3.18 करोड़ था, को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में मान्यता नहीं दी गई। चूंकि ग्राहकों को मुफ्त एयरटाइम जैसे ऑफर व्यापार बढ़ाने के लिए समग्र व्यावसायिक रणनीति का हिस्सा थे, इसलिए ऐसे प्रस्तावों की लागत खर्चों के रूप में थी। आगे, लाइसेंस समझौते के अनुसार, सेवा राजस्व किसी भी सैट-ऑफ के बिना सकल दिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार, राजस्व हिस्से की गणना के लिए एफ ए टी को शामिल नहीं करने के कारण राजस्व की रिपोर्टिंग में ₹ 3.18 करोड़ की कमी बतायी गई।

क्यू टी एल ने यह कहा है कि:-

- जी एल कोड 700841 केवल एयरटाइम डिस्काउंट के लिए है। इस जी एल में कोई राजस्व बुक नहीं है और इस राशि को राजस्व से निकालने का कोई सवाल ही नहीं है। एयरटाइम छूट राशि की गणना करते समय, आडिट ने एक ही जी एल में छूट की क्रेडिट प्रविष्टियों को नहीं माना है।

- कुछ प्रीपेड टैरिफ योजना बाजार की मांग/प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रदान की गई तथा ग्राहकों को फ्री एयरटाइम निश्चित रिचार्ज वाउचर संप्रदायों के माध्यम से रिचार्ज करने के लिए प्रदान की गई थी। टैरिफ राशि जो वास्तव में ग्राहकों द्वारा भुगतान की गई थी। वह राजस्व के रूप में बुक की गई थी। वे टैरिफ योजनाएं ट्राई दिशनिर्देशानुसार थी।
- एफ ए टी केवल क्यू टी एल जी एस एम ग्राहकों के लिए प्रदान की गई थी और यह प्रस्ताव टॉकटाइम से बढ़कर था। प्रस्तावित एफ ए टी ग्राहक को बनाए रखने के उद्देश्य से एक प्रचारक गतिविधि है।
- कंपनी ने फ्री एयरटाइम के लिए राजस्व को मान्यता दी है और साथ में संबंधित नकदी प्रवाह/रसीद नहीं है।
- एफ ए टी योजनाबद्ध व्यापार रणनीति के रूप में है और ट्राई के साथ दायर की गई टैरिफ योजना का हिस्सा है। यह ग्राहकों को अग्रिम रूप से दिया जाता है और इस तरह की वास्तविक राशि एल एफ के अधीन नहीं हो सकती।
- ए एस-9 के संदर्भ में "राजस्व, नकदी, प्राप्ति या उदयम के सामान्य गतिविधियों के दौरान माल की बिक्री से उत्पन्न होने वाली प्राप्ति या विचारों का सकल प्रवाह है। सेवाओं की प्रस्तुति से और इसीलिए इसे ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अंकों के अनुसार, एल एफ का भुगतान प्राप्त हुए राजस्व पर किया गया है।

प्रबंधन के उत्तर पर लेखापरीक्षा के विचार नीचे दिए गए हैं:-

- लेखापरीक्षा का तर्क है कि जी एल कोड 700841 में बुक किए गए डिस्काउंट पर विचार करने के बाद राजस्व शुद्ध था और चूंकि यह लाइसेंस समझौते के विपरीत था, राजस्व उस हद तक कम किया गया था;
- प्रस्तावित एफ ए टी का विवरण टैरिफ के मुताबिक और जो ग्राहकों को प्रचार के रूप में पेश किया गया था, उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया था;
- लेखापरीक्षा ने यह तर्क भी दिया है कि एयरटाइम एक स्वतंत्र वस्तु नहीं है, इसका आंतरिक मूल्य होता है और एफ ए टी देकर लाइसेंसी राजस्व त्याग देता है इसे खर्च दिखाने की बजाय, जिससे एल एफ और एस यू सी का परिहार होता है।

अतः ₹ 3.18 करोड़ मूल्य का एफ ए टी जो प्रीपेड ग्राहकों को प्रदान किया गया के नेटिंग-ऑफ से जी आर/ए जी आर में कमी बतायी गई है, और परिणामस्वरूप एल एफ और एस यू सी के भुगतान में क्रमशः ₹ 0.25 तथा ₹ 0.11 करोड़ की कमी आई है (अनुलग्नक-5.02)।

5.2.3 प्रीपेड सिम कार्ड्स की बिक्री से हुए राजस्व का विचार न करना

कंपनी ने वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान 1+1 सिम योजना संचालित की थी। इस योजना के तहत, एक सिम की कीमत में वितरको को दो सिम वितरित किए गये थे। क्यू टी एल के जनरल लेजर (जी एल) से देखे गए आडिट में एक सिम के राजस्व का हिसाब किया गया था, जबकि जी आर/ए जी आर की गणना के लिए ₹ 1.90 करोड़ की राशि मुफ्त दी गई थी। चूंकि यह प्रचारक योजना थी, सिम के मूल्य को शामिल नहीं करना यू ए एस एल/यू एल समझौते के क्लॉज 19.1 के विचलन में था।

क्यू टी एल ने कहा कि:-

- सिम प्रक्रियाकरण राजस्व को राजस्व जी एल कोड 700843 - जी एस एम प्रसंकरण शुल्क में जमा कर दिया जाता है और जी एल 500407 जी एस एम आय गैर जमा हुई देयता को डेबिट किया जाता है सक्रिय सिम कार्ड से राजस्व को बुकिंग के लिए कोई अलग जी एल नहीं था।
- कंपनी सिम खरीद के लिए वितरकों द्वारा रखे गए आदेश के खिलाफ बाजार की मांग और प्रबंधन के फैसले के आधार पर अपने वितरकों को 1+1 सिम प्रदान करती है।
- अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ए एस-9 के अनुसार "राजस्व वस्तुओं की बिक्री में से एयरटाइम को सामान्य गतिविधियों के दौरान सेवाओं की प्रस्तुति से उत्पन्न होने वाली नकदी, प्राप्ति या विचार का सकल प्रवाह है और इसलिए उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, एल एफ का भुगतान प्राप्त हुए राजस्व पर दिया गया है।
- टी डी सैट ने अपने निर्णय दिनांक 23 अप्रैल 2015 को भी संदर्भित किया कि "जी आर" की गणना करने के क्रम में प्रवाह का अर्थ वास्तविक होना चाहिए न कि काल्पनिक।
- उपरोक्त उद्धृत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ₹ 8.20 करोड़ के लिए एफ ओ सी सिम के लिए आडिट बिंदु योग्य नहीं है।

क्यू टी एल की टिप्पणियों पर लेखापरीक्षा के विचार निम्नानुसार है:-

- लेखापरीक्षा का तर्क है कि 1+1 सिम प्रचारक योजना है और इसलिए सिम का बिक्री मूल्य राजस्व के रूप में होना चाहिए और मुफ्त में दिए गए सिम का मूल्य खर्च के रूप में होना चाहिए। मुफ्त में दिये गये सिम के गैर-लेखांकन से, क्यू टी एल ने राजस्व में ₹ 1.90 करोड़ की कमी दिखाई है।
- जब तक यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में उप-न्यायिक है, लेखापरीक्षा का मानना है कि 1+1 योजना विपणन व्ययों के रूप में है और इसलिए जी आर/ए

जी आर की गणना के लिए राजस्व में मुफ्त सिम के मूल्य को शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि यह लाइसेंस शर्तों के खिलाफ था।

अतः ₹ 1.90 करोड़ के राजस्व को ध्यान में न रखते हुए प्रबंधन की कार्रवाई लाइसेंस समझौते के खिलाफ थी। इसके परिणाम स्वरूप जी आर/ए जी आर को ₹ 1.90 करोड़ कम बताया गया और एल एफ तथा एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 0.15 करोड़ और ₹ 0.07 करोड़ कम किया गया (अनुलग्नक-5.03)।

5.3 राजस्व हिस्सेदारी के लिए आय को शामिल नहीं किया गया

लाइसेंस समझौते में यह निर्धारित करते हुए कि लाइसेंसधारक कम्पनियों के खातों को प्रमाणीकरण अपने लेखापरीक्षकों के द्वारा कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार करना होगा, यह भी निर्दिष्ट किया था कि राजस्व हिस्सेदारी में दिखाई देने वाले राजस्व के बीच सामंजस्य किया जाना चाहिए तथा कंपनी के वार्षिक लेखा उनके लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित करवाने होंगे।

2006-07 से 2014-15 के वर्षों के लिए, लेखापरीक्षकों को रिपोर्ट के साथ जमा किए गए वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा तैयार किए गए परीक्षण बैलेंस, लेखापरीक्षित ए जी आर स्टेटमेंट की समीक्षा और क्यू टी एल के प्राथमिक लेखांकन रिकार्डों के साथ उनकी तुलना की गई है। कंपनी के खातों में दिखने वाली कुछ श्रेणियों को जी आर/ए जी आर की गणना और राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान नहीं माना जाता था। यह राजस्व जो ए जी आर का एक अंग होना चाहिए था, ए जी आर स्टेटमेंट में शामिल नहीं किया गया था। जी आर/ए जी आर से निकाली गई आय को नीचे बताया गया है:

5.3.1 जी आर/ए जी आर के लिए विदेशी मुद्रा लाभ शामिल नहीं किया गया

लाइसेंस समझौते के संदर्भ में, जी आर में किसी भी अन्य विविध राजस्व का समावेश होगा। लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध एस ए पी ई आर पी सिस्टम की जी एल की जांच के दौरान यह देखा गया कि ₹ 18.45 करोड़ की राशि विदेशी मुद्रा लेनदेन पर वास्तविक रूप में बुक की गई थी। हालांकि, ए जी आर के लिए सामंजस्य/मैपिंग के सत्यापन पर, यह देखा गया था कि 2014-15 में जी आर/ए जी आर में ₹ 0.01 करोड़ का शुद्ध विदेशी मुद्रा लाभ माना गया था। अतः विदेशी मुद्रा लाभ पर अर्जित ₹ 18.44 करोड़ के शेष राजस्व को दूरसंचार विभाग को देय राजस्व हिस्से के उद्देश्य के लिए जी आर/ए जी आर के लिए नहीं माना गया था।

प्रत्येक मद के मूल मूल्य के अभाव में आडिट उन मदों के वास्तविक मूल्य पर नहीं पहुँच सकता जिन्हें हर साल प्राप्तिगत लाभ के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है। आपरेटर को प्रत्येक मद के लाभ की गणना के अपने प्रारंभिक मूल्य के संदर्भ में करनी चाहिए और जी आर/ए जी आर में कुल विदेशी मुद्रा लाभ शामिल करना चाहिए।

क्यू टी एल ने उत्तर दिया-

- विदेशी मुद्रा में किसी भी उतार-चढ़ाव, चाहे लाभ या हानि, आकस्मिक रूप से होता है और वह कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न नहीं होता है;
- विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव एक आकस्मिक स्थिति थी, जिसका हर व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा था और इस तरह का लाभ कंपनी के प्राथमिक या पूरक सेवाओं से अर्जित नहीं किया था अर्थात् अपने ग्राहक/ग्राहकों को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना। विदेशी मुद्रा लाभ परिणामस्वरूप होते हैं जब विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए देनदारियों में घरेलु मुद्रा की कीमत में बढ़ोत्तरी की वजह से, कमी आती है। और ऐसे विनियम मतभेद उत्पन्न होते हैं, जब दरें उनसे भिन्न होती हैं जिन को शुरूआत में पुस्तकों में दर्ज किया गया था;
- लेखापरीक्षा ने खातों के शीर्ष में दर्ज नुकसान के लिए केवल काल्पनिक लाभ पर विचार किया है। टेलीकॉम व्यय के विपरीत, विदेशी मुद्रा लाभ ऐसी चीज नहीं है जिसमें काल्पनिक लाभ को हानि के अलगाव में देखा जा सकता था। क्योंकि यह प्रत्येक पुस्तक के समाप्ति अवधि के अंत में एक्सचेंज दर के अंतर को लेखाबद्ध करने के लिए अपनाए गए समान सिद्धांतों पर दर्ज नहीं किए गए थे। यह विक्रेता को केवल भुगतान के समय वास्तविकता में प्राप्त होते हैं।
- 23 अप्रैल 2015 के टी डी सैट के फैसले से पारित हुआ कि "विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण किसी भी लाभ या हानि का लाइसेंस शुल्क पर कोई असर नहीं होना चाहिए"।

निम्नलिखित कारणों से प्रबंधन का विचार स्वीकार्य नहीं है:-

- लाइसेंस समझौते के संदर्भ में जी आर किसी भी अन्य विविध राजस्व का समावेश होगा और लेखापरीक्षा का विचार है कि पी एस पी के लिए किसी भी आनुषंगिक लाभ को जी आर के लिए विचार किया जाना चाहिए।
- कंपनी लेखांकन के व्यापारी पद्धति का पालन कर रही है और लेखांकन के वाणिज्यिक सिद्धांत के अनुसार "सभी लाभांश/हानि" को भी जमा रसीदों और खर्चों को ध्यान में रखते हुए और दो विभिन्न तिथियों के बीच व्यापारिक संपत्ति की तुलना करने के बाद आना है। एक्सचेंज अंतर के परिणामस्वरूप किए गए विदेशी मुद्रा लाभ (राजस्व) हानि (व्यय) के मर्केटाइल सिस्टम के तहत तर्कसंगत है और इसे आकस्मिक/काल्पनिक नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने केवल वास्तविक लाभ पर विचार किया है।
- जब तक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में उप-न्यायिक है, तब तक लेखापरीक्षा का मानना है कि विदेशी मुद्रा से उत्पन्न होने वाले लाभ को लाइसेंस समझौते के अनुसार जी आर/ए जी आर में राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए शामिल करना चाहिए।

क्यू टी एल द्वारा वास्तविक विदेशी मुद्रा लाभ को शामिल नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर में ₹ 18.44 करोड़ की कमी बताई गई है तथा एल एफ और एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 1.48 करोड़ और ₹ 0.47 करोड़ कम किया गया है (अनुलग्नक-5.04)।

5.3.2 जी आर/ए जी आर के लिए अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का विचार न करना

लाइसेंस समझौते की शर्तों के अनुसार, सभी राजस्व, ब्याज, लाभांश और कोई भी विविध राजस्व बिना किसी सेट-ऑफ किए राजस्व में लिया जायेगा। 2006-07 से 2014-15 तक क्यू टी एल के खातों की जाँच से पता चला की ₹ 38.61 करोड़ की अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ का जी आर/ए जी आर में विचार नहीं किया गया।

क्यू टी एल के उत्तर:-

- कॉर्पोरेट आय लाइसेंस प्राप्त गतिविधि से उत्पन्न नहीं हुई थी और ऐसा करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा गैर-दूरसंचार व्यवसायों के लिये खातों की अलग-अलग डिवीजनल किताबें हैं, जिनके पास किसी भी दूरसंचार सर्किल की लाइसेंस प्राप्त गतिविधि के साथ कोई संबंध नहीं था।
- संपत्ति की बिक्री से लाभ दूरसंचार सेवा के राजस्व के रूप में नहीं अर्जित किया गया था, अतः उसे ए जी आर की गणना में नहीं लिया गया था।
- गैर-दूरसंचार राजस्व को शामिल किये जाने के मुद्दे को माननीय टी डी सैट के समक्ष चुनौती दी गई थी और टी डी सैट ने 23 अप्रैल 2015 के निर्णय के आधार पर संपत्ति की बिक्री से लाभ शामिल नहीं था।
- उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये क्यू टी एल संपत्तियों की बिक्री से लाभ की क्वेरी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:-

- लाइसेंस समझौते के अनुसार, जी आर की परिभाषा के संदर्भ में, जी आर में लाइसेंसधारक द्वारा उपर्जित सभी राजस्व संबंधित व्यय की मद का कोई सामंजन किये बिना शामिल होंगे;
- जब यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में उप-न्यायिक है तो लेखापरीक्षा का मानना है कि लाइसेंस अनुबंध के संदर्भ में निश्चित परिसंपत्तियों के बिक्री पर लाभ राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिये जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिये।

इस राशि को न शामिल करने के परिणामस्वरूप ₹ 38.61 करोड़ तक जी आर/ए जी आर को विवरण में कमी आयी और इसके परिणामस्वरूप एल एफ और एस यू सी को क्रमशः ₹ 3.09 करोड़ और ₹ 0.83 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक-5.05)।

5.3.3 एस यू सी के भुगतान के लिये अवसंरचना की शेरिंग से राजस्व का विचार न करना

परिशिष्ट II से अनुलग्नक II में निर्धारित राजस्व व लाइसेंस फीस के विवरण का प्रारूप (ए जी आर विवरण) जैसा कि यू ए एस एल करार के खंड 20.4 में दिया गया है, लाइसेंस करार का अभिन्न भाग है। विवरण में, मद 1 क "वायर लाइन अभिदाताओं से राजस्व दर्शाने के लिये निर्धारित की गयी है। मद 7 और 8 को क्रमशः बैंडविथ, लिंक, आर और जी के मामलों और टर्नकी प्रोजेक्ट्स आदि की बिक्री/लीज से बुनियादी ढांचों को बांटने/लीज पर देने के लिये राजस्व को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त यू ए एस एल करार के खंड 18.3.1 में दिया गया है कि राजस्व शेरर पर आधारित स्पेक्ट्रम प्रभार लगाने के सीमित प्रयोजन हेतु ए जी आर की गणना करते समय वायर लाइन अभिदाताओं से राजस्व को हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

ए जी आर की विवरण की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि क्यू टी एल ने ₹ 8.25 करोड़ और ₹ 48.12 करोड़ का राशि मूल्य 2006-07 से 2014-15 तक बुनियादी ढांचा (टावरों) को बांटने और बुनियादी ढांचा (डार्क फाइबर) को बांटने से राजस्व अर्जित किया है। ए जी आर विवरण के 7 और 8 के तहत, ये सभी मद 2006-07 और 2007-08 में शामिल किये गये हैं। लेकिन 2008-09 से 2014-15 तक के वर्षों के दौरान इन राजस्व को ए जी आर विवरण में वायर लाइन अभिदाताओं के मद 1 क में शामिल किया गया बजाय 7 और 8 मद के जो लाइसेंस के शर्तों का उल्लंघन था। लेकिन इस राजस्व को ए जी आर ने एस यू सी के गणना के समय विचार में नहीं लिया जो कि खण्ड 18.3.1 के लाइसेंस समझौते के उपबंध का उल्लंघन था।

क्यू टी एल का जवाब:-

- क्यू टी एल के तहत एक और बिजनेस स्ट्रीम है अर्थात वायर लाइन बिजनेस/लीज लाइन और डार्क फाइबर से उत्पन्न राजस्व जो तार लाइन सेवाओं से संबंधित है और गैर स्पेक्ट्रम आधारित टेलिकॉम गतिविधि यू ए एस एल के ए जी आर के तहत दिखाये गये है, लेकिन इन राजस्व का हिस्सा वायरलेस के तहत नहीं आता है। इसलिये कोई एस यू सी शुल्क लागू नहीं है। आगे यू ए एस एल समझौते के खण्ड 18.3 के अनुसार "राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के सीमित उद्देश्य के लिये ए जी आर की गणना करते समय, वायर लाइन ग्राहकों से राजस्व को ध्यान में नहीं रखा गया।
- जहां तक टावर के आधारभूत संरचना के एस यू सी शुल्क में नहीं शामिल करने का सवाल है, दूरसंचार विभाग की अधिसूचना के अनुसार टॉवर शेरधारकों से

मिलने वाली आय को कभी भी 'राजस्व' नहीं माना जा रहा है और यह केवल व्यय का प्रतिपूर्ति है तथा इसे सामंजन के साथ प्रदान किया गया है।

- टावर साझा करना राजस्व नहीं है। लेकिन फिर भी हमने लाइसेंस शुल्क को पूरा कर लिया है और प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार टावर साझाकरण आय के लिये कोई एस यू सी शुल्क लागू नहीं है।
- उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट राजस्व पर एस यू सी शुल्क के गैर-प्रयोज्यता को एस यू सी शुल्क के सवाल को क्यू टी एल स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था।

प्रबंधन के उत्तर पर ऑडिट के विचार निम्नानुसार हैं:

- प्रबंधन का तर्क है कि लीज लाइन/डार्क फाइबर से उत्पन्न राजस्व तार लाइन सेवाओं से संबंधित था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह बुनियादी ढांचे को बाँटने की प्रवृत्ति में था और इसलिये एस यू सी के भुगतान के लिए ए जी आर में शामिल किया जाना था;
- जैसा कि ए जी आर स्टेटमेंट में दिया गया है, बुनियादी ढांचे और लीज लाइन को बाँटने से आये राजस्व को 7 वें और 8 वें मद ए जी आर के स्टेटमेंट में शामिल किया जाना चाहिए जो एस यू सी के भुगतान के लिये विचार किया जाना है।
- बुनियादी ढांचे को साझा करने के संबंध में, बुनियादी ढांचे पर खर्च किये गये खर्च में प्रतिपूर्ति का गठन नहीं किया गया था, क्योंकि उन्हें टावरों को साझा किया गया था या नहीं इसके बावजूद खर्च करना था। वास्तव में, व्यय साझा करके प्रबंधन को अतिरिक्त आय का लाभ हुआ।

एस यू सी के लिए ए जी आर में ₹ 56.37 करोड़ की आधारभूत हिस्सेदारी के राजस्व का गैर-विचार विमर्श के कारण, ₹ 1.69 करोड़ का राजस्व दूरसंचार विभाग को कम भुगतान किया गया था (अनुलग्नक-5.06)।

5.3.4 एल एफ और एस यू सी के भुगतान के लिये ब्याज आय नहीं माना जाता है

लाइसेंस समझौते के अनुसार, राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान के उद्देश्य के लिये जी आर ब्याज के कारण राजस्व में शामिल होगा। 2006-07 से 2014-15 की अवधि के लिये क्यू टी एल द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि 2006-07 से 2008-09 और 2014-15 के दौरान खातों की पुस्तकों में ₹ 2.71 करोड़ की ब्याज आय हुई थी जोकि एस यू सी के भुगतान के लिये विचार में नहीं लिया गया। आगे वर्ष 2014-15 में ब्याज आय ₹ 2.71 करोड़ में से ₹ 1.16 करोड़ को भी ए जी आर में शामिल नहीं किया गया था और इसे भी एल एफ के भुगतान के लिये विचार नहीं किया गया था।

क्यू टी एल का उत्तर:-

- यद्यपि प्रबंधन जी आर के तहत निवेश और विविध आय को कमी विचार नहीं करता है, क्यू टी एल ने इसे आय माना है और एल एफ को भुगतान किया।
- निवेश और विविध आय पर एस यू सी को भुगतान न करने के संबंध में यह 2006-07 से 2008-09 की अवधि के लिये लागू नहीं है। 2009-10 वर्ष से स्पेक्ट्रम को क्यू टी एल को आवंटित किया गया है।
- दूरसंचार सेवाओं से राजस्व के हिस्से के रूप में ब्याज नहीं अर्जित किया गया है और इसलिये ए जी आर की गणना में नहीं माना गया है।
- यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय टी डी सैट के समक्ष उक्त मुद्दे को चुनौती दी गई थी, 23 अप्रैल 2015 के निर्णय के तहत ऑपरेटर के खिलाफ निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को प्रबंधन और दूरसंचार विभाग द्वारा चुनौती दी गई है। इसलिये यह मुद्दा न्यायालय के विचाराधीन है।
- उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्यू टी एल ब्याज आय पर एल एफ और एस यू सी का भुगतान न करने पर प्रश्न स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।

निम्नलिखित कारणों से प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है:-

- क्यू टी एल को अगस्त 2006 में सी डी एम ए स्पैक्ट्रम आवंटित किया गया था। क्यू टी एल 2007 से सी डी एम ए टेक्नोलॉजी के तहत सेवा प्रदान कर रहा था। क्यू टी एल ने एस यू सी के लिये ए जी आर प्रस्तुत किया और ब्याज आय को छोड़कर एस यू सी का भुगतान भी किया। यह लाइसेंस समझौते के अनुसार नहीं था।
- जब यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उप न्यायिक है, तो लेखापरीक्षा का मानना है कि लाइसेंस समझौते के अनुसार, ब्याज आय को राजस्व गणना के लिये जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिये।

ए जी आर में ब्याज आय को विचार नहीं करने के वजह से एल एफ और एस यू सी को क्रमशः ₹ 0.09 करोड़ और ₹ 0.07 करोड़ की कम भुगतान क्यू टी एल द्वारा की गयी (अनुलग्नक-5.07)।

5.3.5 विविध आय को एल एफ और एस यू सी के भुगतान के लिये विचार नहीं करना

लाइसेंस समझौते के शर्तों के अनुसार, सकल राजस्व, ब्याज, लाभांश और अन्य कोई भी राजस्व बिना कोई सेट-ऑफ किये बिना राजस्व में शामिल होगा। वर्ष 2006-07 से 2008-09 और 2014-15 के क्यू टी एल के ए जी आर स्टेटमेंट के जाँच के दौरान पता चला कि विविध आय ₹ 8.79 करोड़ को एस यू सी के जी आर/ए जी आर से बाहर रखा

गया था। वर्ष 2014-15 में एल एफ के लिये ए जी आर में ₹ 8.79 करोड़ में से ₹ 0.10 करोड़ की विविध आय शामिल नहीं थी।

क्यू टी एल ने जवाब दिया कि:-

- यद्यपि प्रबंधन जी आर के तहत निवेश और विविध आय को कमी नहीं मानता है, क्यू टी एल ने इसे आय के रूप में माना है और एल एफ का भुगतान किया गया है।
- निवेश और विविध आय पर एस यू सी का भुगतान न करने के संबंध में यह वर्ष 2006-07 से 2008-09 की अवधि के लिये लागू नहीं है। वर्ष 2009-10 से स्पेक्ट्रम को क्यू टी एल को आवंटित किया गया है।
- विविध आय और स्क्रेप बिक्री लाभ को दूरसंचार सेवाओं से राजस्व के हिस्से के रूप में नहीं अर्जित किया गया है और इसलिये ए जी आर की गणना में नहीं माना गया है।
- यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय टी डी सैट के समक्ष उक्त मुद्दे को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत 23 अप्रैल 2015 के निर्णय के तहत ऑपरेटर के खिलाफ निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को कंपनी और दूरसंचार विभाग द्वारा चुनौती दी गई है, इसलिये यह मुद्दा उप-न्यायिक है।
- उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, क्यू टी एल विविध आय पर एल एफ और एस यू सी के गैर-भुगतान पर प्रश्न स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।

निम्नलिखित कारणों से प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है:-

- स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में, लेखापरीक्षा के विचार ऊपर पैरा 5.3.4 में प्रस्तुत किए गये हैं;
- जब यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो लेखापरीक्षा का मानना है कि लाइसेंस समझौते के अनुसार विविध आय को राजस्व गणना के लिये जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिये।

विविध आय को जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं करने की वजह से, एल एफ और एस यू सी को क्रमशः ₹ 0.01 करोड़ और ₹ 0.18 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक-5.08)।

5.4 एल एफ व एस यू सी के कम/गैर-भुगतान का ब्याज

उपरोक्त उठाये गये मामलों (पैरा 5.2.1 से 5.3.5) में एल एफ व एस यू सी का कम/गैर भुगतान क्रमशः ₹ 8.22 करोड़ एवं ₹ 4.82 करोड़ था। एल एफ व एस यू सी के कम भुगतान पर निकाली गई ब्याज की राशि ₹ 13.58 करोड़ है (अनुलग्नक-5.09)। ब्याज की

गणना लाइसेंस समझौते में निर्धारित की गई दर जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक आफ इंडिया की प्राइम लेन्डिंग दर से 2 प्रतिशत अधिक थी और विचारित अवधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त से मार्च 2016 तक थी। लाइसेंस शर्तों के अनुसार ब्याज की गणना मासिक आधार पर की गई है।

5.5 राजस्व और लाइसेंस फीस के विवरण में घोषणा (ए जी आर विवरण)

यू ए एस एल समझौते में निर्धारित है कि आपरेटर कंपनी के खातों को उसके वैधानिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। समवर्ती रूप से इस समझौते पर लाइसेंसधारी गतिविधि से लाइसेंसधारी द्वारा राजस्व की मान्यता और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट और विशिष्ट मानदंड/दिशा निर्देश भी प्रदान किए गये हैं। यू ए एस लाइसेंस समझौते के अनुलग्नक-III में ये नियम विस्तृत रूप से, आवश्यक सूचनाओं की निर्धारित घोषणा जैसे निर्धारित अवधि के लिए बिल योग्य राशि, छूट/रीबेट का विवरण, घर और विजिटिंग ग्राहकों के कुल एअर टाइम यूनिट्स (मीटर युक्त यूनिट्स) और बिना बिल जारी वाले नम्बर (जैसे सर्विस कनेक्शन) आदि। लाइसेंस समझौते के नियम 20.2 और 20.6 के साथ दिये गये मानदंडों/दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से इंगित है कि लाइसेंसधारी कंपनी का विशेषाधिकार कंपनी अधिनियम, स्वीकार्य लेखा मानक इत्यादि के पालन करने के लिए अपने खाते के तैयार करने के लिया था। राजस्व हिस्सों के भुगतान के प्रयोजन के लिए लाइसेंसधारी कंपनी का ए जी आर, यू ए एस लाइसेंस में अपनाई गई राजस्व की परिभाषा के अनुसार गणना की जायगी।

- इस समझौते में यह भी कहा गया है कि *लाइसेंसधारी कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शपथ पत्र पर प्रमाणित पूरे खाते का राजस्व जैसा की शर्त 19 में परिभाषित किया गया है, प्रत्येक तिमाही के लिए अलग-अलग संबंधित तिमाही के भुगतान के साथ विवरण लाइसेंस प्रदाता को देने के लिए बाध्य होगा।* लाइसेंसधारक के वैधानिक लेखापरीक्षक जो कंपनी अधिनियम/प्रासंगिक लेखा मानदंडों आदि के प्रावधानों के अनुसार खातों को तैयार करते हैं को इसकी पुष्टि भी देनी चाहिए कि राजस्व और लाइसेंस फीस का विवरण *लाइसेंस अनुबंध (परिशिष्ट-1 से अनुलग्नक-II) में निहित मानदंडों/दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है।*
- रिपोर्ट में बताए गये राजस्व को घटाकर दिखाने की घटानाओं से यह पुष्टि होगी कि क्यू टी एल द्वारा लाइसेंस फीस और एस यू सी के भुगतान के लिए चिन्हित राजस्व लाइसेंस शर्तों के अनुसार नहीं था और न ही खातों की तैयारी पूरी तरह दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुपालन में थी। यद्यपि प्रबंधन द्वारा यह कहा गया था कि राजस्व का भुगतान छूट में से किया गया था, इसका विवरण लाइसेंस अनुबंध द्वारा अपेक्षित क्यू टी एल के वार्षिक खातों में कभी नहीं देखा गया था। प्रबंधन ने यह भी सूचित किया कि बिलयोग्य राजस्व को ए एस-9 के साथ कुल मिलाकर दिखाया गया था और बिलयोग्य राशि पर कोई छूट नहीं दी गयी थी। प्रबंधन का तर्क विश्वसनीय नहीं था क्योंकि खातों की तैयारी के दिशानिर्देशों के अनुसार लाइसेंसधारक की सेवा आय को सकल तथा छूट/रीबेट

विवरण के साथ अलग-अलग दिखाया जाना था। लाइसेंस प्रदाता के साथ सभी अपेक्षित सूचनाओं को साझा करने/प्रकट करने की लाइसेंसधारक की अनिच्छा को दूरसंचार विभाग द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया। यद्यपि जी आर की गणना लाइसेंस अनुबंधों के अनुपालन में नहीं था, वैधानिक लेखापरीक्षक ने हमेशा प्रमाणित किया था कि लाइसेंस अनुबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों/मानदंडों के अनुसार खाते तैयार किये गये थे। इसके अलावा लाइसेंस अनुबंध में यह निर्धारित किया गया था कि लाइसेंसधारी कंपनियों के दूरसंचार विभाग के कंपनी के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा शपथ पत्र पर प्रमाणित विवरण जिसमें राजस्व का पूरा खाता जैसा शर्त 19 में परिभाषित किया गया है प्रत्येक तिमाही के लिए अलग-अलग ऐसे भुगतान विवरण के साथ जहां कंपनी अनुपालन में असफल रही और दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस अनुबंधों में निर्धारित शर्तों के अनुसार राजस्व की घोषणा के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया। यद्यपि संचार खातों के नियन्त्रकों के कार्यालय को आपरेटरों द्वारा अपने ए जी आर तक पहुंचने के लिए दावा किया गया। कटौती की शुद्धता की पुष्टि के लिए स्थापित किया गया है। लाइसेंस शर्तों की स्थापित व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि जी आर की रिपोर्टिंग ठीक हो।

5.6 लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर दूरसंचार विभाग/क्यू टी एल की प्रतिक्रिया

मैसर्स क्यू टी एल द्वारा देय राजस्व हिस्से पर आडिट की टिप्पणियाँ दिसम्बर 2016 के दौरान दूरसंचार विभाग और क्यू टी एल के लिए अपनी आगे की रिपोर्ट के लिए भेजी गई थी। क्यू टी एल ने एक बार फिर कहा (जनवरी 2017) की लेखापरीक्षा के दौरान जारी किए गए लेखापरीक्षा प्रेक्षण के उत्तर दे दिये गये थे।

दूरसंचार विभाग ने कहा (फरवरी 2017) कि:-

- जी आर और ए जी आर की बुनियादी परिभाषा को 2002-03 में टी एस पी द्वारा चुनौती दी गयी थी। तब से लम्बी मुकदमेबाजी की गई है और आज तक जारी है।
- दूरसंचार विभाग वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टी एस पी के खिलाफ अपील में है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार विभाग को लाइसेंस समझौते के आधार पर टी एस पी की मांग जारी करने की अनुमति दी गई थी।
- लाइसेंस समझौते और दूरसंचार विभाग के नियमावली निर्णयों के अनुसार सी ए जी द्वारा अंतिम आंकड़ों के आधार पर मांगों को उठाया जाएगा।

दूरसंचार विभाग की प्रतिक्रिया यह साबित करती है कि एन टी पी-1999 के हिस्से के रूप में राजस्व हिस्सेदारी शुरू की गई थी, लेकिन विभाग अपने कार्यान्वयन के 17 सालों से अधिक के बाद भी लाइसेंस समझौते पर विचार किए गए अपने उचित राजस्व हिस्से पर ध्यान नहीं दिया गया।

यह उल्लेख करने के लिए उचित होगा कि जब सरकार ने अप्रैल 2004 से प्रभावी सभी ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस फीस दो प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया, तो दूरसंचार विभाग ने उम्मीद जताई कि ऑपरेटरों को सरकार के खिलाफ चुनौतियों के वापस लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हालांकि, लाइसेंस फीस में कमी की उम्मीद नहीं थी और ऑपरेटर्स जी आर/ए जी आर और डिमांड नोट्स की परिभाषा को चुनौती देने वाले सरकार के खिलाफ मुकदमेबाजी जारी रखते हैं। इस प्रकार पी एस पी को लाइसेंस फीस की दर में कमी का लाभ मिला, लेकिन सरकार को मुकदमेबाजी में कमी का पारस्परिक लाभ नहीं मिला।